

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़, जिला- झुझुंनू

(पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुंनू)

जीसीएमएस नं. 2025/493, 494, 495, 496, 497, 498, 499

मुकदमा नम्बर 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167/2025-
आदेश

दिनांक- 17/09/25

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र एवं पटवारी हल्का व भूअ. निरीक्षक की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नवलगढ़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ढिगाल, पटवार हल्का ढिगाल की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 में दर्ज प्रविष्टियों को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	ढिगाल	187	प्रताप पुत्र हनुमान	प्रताप सिंह पुत्र हनुमानाराम
2	ढिगाल	105	सर्व श्री अनुपम बिशु पुत्र श्रवण कुमार	अनुपम बिशु पुत्र श्रवण कुमार
3	ढिगाल	374	ओमप्रकाश पुत्र नोपा	ओमप्रकाश पुत्र नोपाराम
			रामकुमार सिंह पुत्र नोपा	रामकुमार सिंह पुत्र नोपाराम
			रामनिवास पुत्र नोपा	रामनिवास पुत्र नोपाराम
4	ढिगाल	324,325	प्रताप पुत्र हरफूल सिंह	प्रताप सिंह पुत्र हरफूल सिंह
			कमला पत्नी हरफूल	कमला देवी पत्नी हरफूल सिंह
5	ढिगाल	104	जोखाराम पुत्र खमाराम	जोखीराम पुत्र खमाराम
6	ढिगाल	495	सतवीर पुत्र जगदीश	सत्यवीर पुत्र जगदीश
7	ढिगाल	506	सांवरमल पुत्र जोधाराम	सांवरसिंह पुत्र जोधाराम

उपखण्ड अधिकारी

नवलगढ़

दिनांक 17/09/25

क्रमांक/राजस्व/2025/ 679

प्रतिलिपी:-

1. तहसीलदार नवलगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
2. आवेदक.....

उपखण्ड अधिकारी

नवलगढ़